राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.1(12)नविवि/II/2012 जयपुर, दिनांक 29 APR 2019

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियंता सेवा (भवन एवं पथ) नियम, 1954 जो नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद की अनंतिम वरिष्ठता सूची (Provisonal seniority list) निम्नानुसार जारी की जाती है :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	चयन वर्ष
1.	श्री रामलाल	04.07.1960	2016—17
2.	श्री अशोक कुमार चौधरी	09.07.1965	2016—17

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 के द्वारा श्री रामलाल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता के विरूद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण इनका लिफाफा बंद रखा गया है। प्रकरण के निस्तारण के बाद वरिष्ठता में परिवर्तन हो सकता है।

उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची (Provisonal seniority list) पर यदि किसी अभियंता को कोई आपत्ति हो तो इस सूची जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में समुचित तथ्यों का उल्लेख करते हुए समुचित साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अथवा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि समाप्ति पर जारी वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा।

आज्ञासे,

(कन्हैयालाल स्वामी)
शासन संयुक्त सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (..)।
5. संबंधित अभियंतागण (श्री रामलाल/श्री अशोक कुमार चौधरी, अति0 मुख्य अभियंता)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन सहायक सचिव—द्वितीय